न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या–24/2017(राजस्व प्रा0 पत्र सं. 10/98)

1. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्व0 श्री नारायण
2. रामा पुत्र श्री सवाई
3. श्रीमती शान्ति पत्नी स्व. श्री छोटू
4. श्रवण पुत्र स्व0 श्री छोटू
5. मुकेश पुत्र स्व0 श्री छोटू
6. सुरेश पुत्र स्व0 श्री छोटू
   समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला–अजमेर।
   जरिये मुख्तयारआम सीताराम पुत्र श्रीनारायण जाति भांबी, निवासी ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला–अजमेर (राज0)
7. सीताराम पुत्र स्व0 श्री नारायण जाति भांबी निवासी–ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला–अजमेर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला–अजमेर।
2. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

..... अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता, माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान पीठ, जयपुर द्वारा रिट याचिका संख्या 9178/2017 उनवानी श्रीमती लक्ष्मी व अन्य बनाम जिला कलक्टर अजमेर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.06.2017 के द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा अपील संख्या 67/2008/75 बउनवानी श्रीमती लक्ष्मी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2010 की पालना बाबत।

उपस्थितः– 1. श्री ललितशरण शर्मा — अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी — पैरोकार सरकार
3. श्री रामकिशोर खदाव — अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2

आदेश

दिनांक – 6.12.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर (राज0) स्थित आराजी साबिक ख0न0 1234 जिसके वर्तमान खसरा नं0 1217/1365 रकबा 25 बीघा 3 बिस्वा में से रकबा 8 बीघा उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी सवाई पुत्र मंगला जाति भांवी निवासी ग्राम कानस तहसील अजमेर जिला–अजमेर को दिनांक 16.11.1975 को

06/12/17

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

नियमानुसार कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। तत्पश्चात वर्किंग जमाबंदी के खाता नं0 192 में खसरा नम्बर 1234 मिन रकबा 08–00–00 बीघा किस्म बारानी–3 प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गई। आवंटन की शर्तो के अनुसार प्रार्थी आवंटित भूमि पर काश्त कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण बिना किसी बाधा के करता रहा। आवंटन नियम 1970 के 18 के अनुसार आवंटन के तीन वर्ष पश्चात प्रार्थी को कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रार्थी के आवंटन दिनांक 16.11.75 को निरस्त करवाये जाने हेतु आवंटन अवधि के 13 वर्ष की लम्बी अवधि पश्चात नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत निरस्त करवाने हेतु जिला कलक्टर अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 10/98 बउनवानी राजस्थान सरकार व अन्य बनाम नारायण पुत्र सवाई दर्ज करवाया जाकर प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी पिता सवाई पुत्र मंगला भांबी के आवंटन को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया। जिला कलक्टर अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 30.11.98 द्वारा प्रार्थी का आवंटन दिनांक 16.11.75 निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 23.7.2010 के द्वारा स्वीकार कर जिला कलक्टर, अजमेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.98 निरस्त करते हुए प्रार्थी के आवंटन दिनांक 16.11.75 को बहाल किया गया। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 23.7.2010 के विरूद्ध छोटू व अन्य ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील संख्या 4827/2010 एल.आर./जिला–अजमेर उनवानी छोटू वगैरह बनाम लक्ष्मी वगैरह में दिनांक 14.6.16 को अपीलान्ट्स के द्वारा अपील नहीं चलाने के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर खारिज किये जाने से माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर का निर्णय दिनांक 23.7.2010 अन्तिम हो गया। किन्तु पालना नहीं होने पर प्रार्थीया ने माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान पीठ, जयपुर के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की, जों आदेश दिनांक 14.06.2017 से निर्णित फरमाते हुए जिला कलक्टर अजमेर को माननीय राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 23.7.2010 की पालना में नामान्तरकरण प्रार्थीगण के हक में तस्दीक किये जाने के संबध में सुनवाई की जाकर नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही करने अन्यथा कारण स्पष्ट करने का आदेश प्रदान किया। आवंटित भूमि बाबत विचाराधीन न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान श्रीमान् (जिला कलक्टर, अजमेर) के आदेश दिनांक 30.11.1998 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 102 दिनांक 12.02.1999 के द्वारा भूमि सिवाय चक दर्ज कर दी गई एवं सामान्य आदेश दिनांक 27.9.2013 के द्वारा प्रार्थीगण की पैतृक आवंटित भूमि हाल खसरा नं0 1217/1365 रकबा 8 बीघा का नामान्तरकरण अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में अंकित कर दिया जो प्रार्थी के अधिकारों के विरूद्ध होने से प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है। आवंटित भूमि साबिक खसरा नं0 1234 के हाल खसरा नं0 1217/1365 रकबा 8 बीघा का नियमानुसार प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी सवाई पुत्र मंगला तत्पश्चात उनके देहान्त होने से उनके कानूनी वारिसान प्रार्थीगण खातेदार–काश्तकार होकर उपयोग–उपभोग कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। अतः ग्राम कानस साबिक तहसील अजमेर हाल तहसील पुष्कर जिला अजमेर स्थित भूमि साबिक खसरा नं0 1234 के हाल खसरा नं0 1217/1365 रकबा 8 बीघा का प्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर राजस्व

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

06/11/17

जिला कलेक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश न्यायहित प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर मय प्रति के नोटिस तहसीलदार पुष्कर एवं सचिव अजमेर विकास प्राधिकरण को जारी किये गये तथा मूल पत्रावली रेकार्ड से तलब कर संलग्न पत्रावली की गई। तहसीलदार पुष्कर एव अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के जवाब प्रस्तुत होने पर पत्रावली वास्ते सुनवाई नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर (राज0) स्थित आराजी साबिक ख0न0 1234 जिसके वर्तमान खसरा नं0 1217/1365 रकबा 25 बीघा 3 बिस्वा में से रकबा 8 बीघा उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी सवाई पुत्र मंगला जाति भांवी निवासी ग्राम कानस को दिनांक 16.11.1975 को नियमानुसार कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। तत्पश्चात वर्किंग जमाबंदी के खाता नं0 192 में खसरा नम्बर 1234 मिन रकबा 08–00–00 बीघा किस्म बारानी–3 प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गई। आवंटन की शर्तो के अनुसार प्रार्थी आवंटित भूमि पर काश्त कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण बिना किसी बाधा के करता रहा। आवंटन नियम 1970 के 18 के अनुसार आवंटन के तीन वर्ष पश्चात प्रार्थी को कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। परन्तु तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रार्थी के आवंटन दिनांक 16.11.75 को निरस्त करवाने बाबत आवंटन अवधि के 13 वर्ष की लम्बी अवधि पश्चात नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिस पर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रार्थी का आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 30.11.98 को पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील आदेश दिनांक 23.7.2010 के द्वारा स्वीकार कर जिला कलक्टर, अजमेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.98 निरस्त करते हुए प्रार्थी के आवंटन दिनांक 16.11.75 को बहाल किया गया। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 23.7.2010 के विरूद्ध छोटू व अन्य द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील संख्या 4827/2010 उनवानी छोटू वगैरह बनाम श्रीमती लक्ष्मी वगैरह को अपीलान्ट्स द्वारा अपील नहीं चलाने के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर खारिज किये जाने से माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर का निर्णय दिनांक 23.7.2010 अन्तिम हो गया। किन्तु इसकी पालना नहीं होने पर प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान पीठ, जयपुर के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की गई, जिसे आदेश दिनांक 14.06.2017 से निर्णित फरमाते हुए श्रीमान् (जिला कलक्टर अजमेर) को माननीय राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 23.7.2010 की पालना में नामान्तरकरण प्रार्थीगण के हक में तस्दीक किये जाने के संबध में सुनवाई की जाकर नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही करने अन्यथा कारण स्पष्ट करने का आदेश प्रदान किया। आवंटित भूमि बाबत विचाराधीन न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान श्रीमान् (जिला कलक्टर, अजमेर) के आदेश दिनांक 30.11.1998 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 102 दिनांक 12.02.1999 के द्वारा भूमि सिवाय चक दर्ज कर दी गई एवं सामान्य आदेश दिनांक 27.9.2013 के द्वारा प्रार्थीगण की पैतृक आवंटित भूमि हाल खसरा नं0 1217/1365 रकबा 8 बीघा का नामान्तरकरण अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

06/12/17

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अंकित कर दिया जो प्रार्थी के अधिकारों के विरूद्ध होने से प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है। आवंटित भूमि साबिक खसरा नं0 1234 के हाल खसरा नं0 1217/1365 रकबा 8 बीघा का नियमानुसार प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी सवाई पुत्र मंगला तत्पश्चात उनके देहान्त होने से उनके कानूनी वारिसान प्रार्थीगण खातेदार–काश्तकार होकर उपयोग–उपभोग कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहें है। अतः माननीय राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 23.7.2010 की पालना एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.6.2017 के अनुसार ग्राम कानस साबिक तहसील अजमेर हाल तहसील पुष्कर जिला अजमेर स्थित भूमि साबिक खसरा नं0 1234 के हाल खसरा नं0 1217/1365 रकबा 8 बीघा का प्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश न्यायहित प्रदान करावें।

जवाब में पैरोकार सरकार ने तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्रस्तुत जवाब कथनों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि ग्राम कानस के वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 192 में खसरा नं0 1234 मिन 8 बीघा भूमि पर सवाई पुत्र मंगला कौम भाम्बी सा0 देह गैर खातेदार अंकित था। तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 102 दिनांक 12.2.99 द्वारा खसरा नम्बर 1234 रकबा 8 बीघा गैर खातेदारी निरस्त कर भूमि सिवायचक दर्ज करने का अंकन है। मिलान क्षैत्रफल अनुसार साबिक खसरा नं0 1234 रकबा 25 बीघा 3 बिस्वा के हाल खसरा नं0 1130 रकबा 0.17, 1215/1425 रकबा 0.08, 1216 रकबा 0.21, 1217/1365 रकबा 3.80 बने। हाल खसरा नं0 1217/1365 रकबा 3.80 में से 0.81 हैक्टर भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय माधोपुरा (कानस) विद्यालय भवन एवं खेल मैदान हेतु 30 वर्ष की लीज पर आवंटित हुई जिसके खसरा नं0 1597/1365 रकबा 0.81 बने है एवं मौके पर विद्यालय भवन बना हुआ है। नामान्तरकरण संख्या 212 दिनांक 10.7.2017 (कैम्प कानस) जरिये डिक्री संख्या खसरा नं0 1217/1365 रकबा 2.99 में से 1.29 हैक्टर पर गोपी पुत्र भैरू जाति भाम्बी का नामान्तरकरण दर्ज हो रखा है। शेष रकबा 1.70 ए.डी.ए., अजमेर के नाम दर्ज है, जिसमें कुछ हिस्से पर मकानात बने हुए है व शेष भूमि मौके पर खाली है। उपस्थित अभिभाषक अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर ने मुख्यतः कथन किया कि विवादित आराजी नियमानुसार आवंटित कर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तान्तरित की गई है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में भी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के हक में अंकन दर्ज होकर स्वामित्व एवं अधिकार में है। प्रकरण का निस्तारण पक्षकारो के दस्तावेजात का समुचित विवेचन कर यथोचित आदेश प्रदान करावें।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस/प्रार्थना पत्र कथनो का ध्यान पूर्वक मनन किया एवं रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी बाबत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत अपील संख्या 4827/2010, निर्णय दिनांक 14.6.2016 से खारिज किये जाने से माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.7.2010 वर्तमान में प्रभावी है। जिसके अनुसार इस न्यायालय (जिला कलक्टर, अजमेर) द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.1998 निरस्त किया जाकर प्रार्थी को दिनांक 16.11.1975 को किया गया आवंटन बहाल किया गया है। मान0राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के इस निर्णय की पालना हेतु प्रार्थी0 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस0बी0 सिविल रिट याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक

06/12/17

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

14.06.2017 द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता (जिला कलक्टर,अजमेर) को निर्देशित करते हुए उल्लेख किया है कि " In this facts of the case, this writ petition is disposed off requiring the petitioner to approach the District collector, Ajmer, by way of representation along with a copy of this order, who shall consider and decide the same within a period of three months addressing the grievance of the petitioner by a speaking order giving reasons as to why the land in question has not been mutated in favour of the petitioner despite order dated 23.07.2010 passed by the Revenue Appellate Authority. नामान्तरकरण कार्यवाही एक Fiscal proceeding मात्र है इससे हक अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। वर्तमान खातेदार अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकरण का निस्तारण पक्षकारान के दस्तावेजों का समुचित विवेचन अनुसार करने का निवेदन किया गया है जिससे प्रश्नगत प्रभावी आदेश की पालना किये जाने बाबत आपत्ति नहीं होना जाहिर है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्डस) रूल्स के नियम 128 में न्यायालय की आज्ञा की पालना में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का प्रावधान है। चूंकि मान0 राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2010 के विरूद्ध वर्तमान में कोई अपील भी विचाराधीन नहीं है, जिसमें स्थगन हों। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के उक्त आदेश की पालना में प्रार्थी को दिनांक 16.11.1975 को आवंटित प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण उनके पक्ष दर्ज नहीं किये जाने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर (राजस्थान) स्थित प्रश्नगत आराजी साबिक खसरा नं0 1234 में प्रार्थी को आवंटित रकबे का नामान्तरकरण उनके हक में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार को तहरीर जारी हों। सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर प्रश्नगत आराजी बाबत, राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर व राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेशों का गुणावगुण पर अध्ययन कर आदेश को चुनौती देने हेतु स्वतंत्र है।

आदेश आज दिनांक 06.12..2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

06/12/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner